



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226545
CG-DL-E-13042021-226545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1464]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1464]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1575(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के कि.मी. 105.423 से कि.मी. 118.373 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 किमी छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 नजीबाबाद बाईपास के किमी 105.423 से किमी 118.373 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बाईपास के 2.45 कि.मी. छोड़कर) चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 105.423 से 118.373 तक	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	नजीबाबाद	1	महावतपुर दलपत
						2	रानीपुर
						3	साहनपुर सन्तौकी
						4	गिरदावा साहनपुर
						5	पुरनपुर गढी-A
						6	जादोपुर
						7	राहतपुर खुर्द
						8	थापल
						9	रहमापुर
						10	लालपुर भिक्का
						11	विजयपुर
						12	नंगला पिथौरा
						13	मौ0 आलमपुर
						14	नंगला सेम्भल
						15	मीरपुर दुर्ग
						16	महावतपुर नाथा A
						17	महावतपुर नाथा BA
						18	महावतपुर गौरवा
						19	जुल्फकारपुर
						20	समीपुर
						21	साहनपुर

[फा. सं. 55011]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1575(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for 4 - laning of Najibabad Bypass of NH - 119 from Km. 105.423 to Km. 118.373(excluding 2.45 Km. of NH - 74 bypass) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on 4 - laning of Najibabad Bypass of NH - 119 from Km. 105.423 to Km. 118.373 (excluding 2.45 Km. of NH - 74 bypass) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Special Land Acquisition Officer	105.423KM To 118.373KM	UTTAR PRADESH	BIJNOR	Najibabad	1	Mahabatpur Dalpat
						2	Ranipur
						3	Sahanpur Santoki
						4	Girdawa Sahanpur
						5	Puranpur Garhi Ahatmali
						6	Jadopur
						7	Rahatpur Khurd
						8	Thapal
						9	Rahmapur
						10	Lalpur Bhikka
						11	Bijaypur
						12	Nagla Pithora
						13	Mohammad Alampur
						14	Nagla Sembal
						15	Mirpur Dargu
						16	Mahabatpur Nathe Ahatmali
						17	Mahabatpur Nathe Bila Ahatmali
						18	Mahabatpur Gaurwa
						19	Julfkarpur
						20	Samipur
						21	Sahanpur

[F. No. 55011]

RAJESH GUPTA, Director